[4/12/2025].
परिशिष्ट - अ

तारांकित प्रश्न क्र. 1150 प्रश्न सं. [क. 1150]

कार्यालय परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्रमांक 305/टीसी/2025 भोपाल, दिनांक 24/X/2025

//कार्यवाही विवरण//

दिनांक 16.10.2025 को माननीय परिवहन एवं स्कूली शिक्षा मंत्री मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में वीडियों कांफ्रेस के माध्यम से बैठक आहूत की गयी थी। बैठक में सचिव, परिवहन विभाग, अद्योहस्ताक्षकर्ता, संभागीय उप परिवअन आयुक्त, जबलपुर, इंदौर, नर्मदापुरम एवं समस्त जिला परिवहन अधिकारी तथा प्रवर्तन अमले के सभी अधिकारी/कर्मचारी ऑनलाइन उपस्थित थे।

माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा वीडियों कांफ्रेस के माध्यम से जुड़े प्रदेश के सभी परिवहन अधिकारियों से राजस्थान में हुई बस दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो इस पर चर्चा की गयी एवं निम्न बिन्दुओं पर निर्देशित किया गया :-

1. यात्री बसों/स्लीपर बसों एवं स्कूल बसों की नियमित रूप से जांच कर अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की जांच करें और जिन बसों में अग्नि सुरक्षा संबंधी उपकरण नहीं पाए जाते हैं उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

2. बिना परमिट एवं बिना टैक्स के संचालित वाहनों पर विधि अनुसार सख्त कार्यवाही की जावे एवं ऐसे बस मालिक/आपरेटर्स के विरूद्ध जो परमिट शर्त उल्लंघन का उल्लंघन करते हैं उनके विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जावे।

3. बस ऑपरेटर्स जो ऑल इण्डिया टूरिस्ट परमिट लेकर अपने वाहनों को स्टेज कैरिज के रूप में संचालित कर रहे हैं, उनकी नियमित जांच की जावे एवं अधिनियम/नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावे।

4. त्यौहार के समय बस मालिकों द्वारा मनमाना किराया वसूल कर यात्रियों का शोपण किया जा रहा है, ऐसे वाहन मालिकों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

5. नियमित चैकिंग के दौरान समस्त प्रवर्तन अमला वर्दी में रहें एवं चैकिंग के दौरान बसों में प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण अनिवार्य रूप से रखे है अथवा नहीं इसकी भी जांच की जावें।

6. समस्त दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य रूप से धारण करने के संबंध में जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

7. वाहनों का फिटनेस जारी करने के पूर्व अन्य दस्तावेज के साथ वाहन में HSRP प्लेट लगा हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

8. बिना वैध बीमा, क्षमता से अधिक सवारी/सामान, ओव्हर स्पीडिंग एवं शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही करें।

9. पुराने बकाया मोटरयान कर एवं पेनल्टी की वसूली हेतु विशेष प्रयास करें।

10. अभी भी कई जिलों में वाहनों में HSRP लगाने अथवा रिकार्ड अद्यतन किए जाने की कार्यवाही लंबित है जिस संबंध में यह कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु समस्त वाहन डीलरों को निर्देशित करें और जिस वाहन डीलर के द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जाती है तो उनके ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त करने की कार्यवाही संस्थित करें।

11. अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से सतत् संपर्क बनाए रखें और उनके द्वारा अग्रेषित प्रकरणों में तत्परता से विधि अनुरूप कार्यवाही करें।

12. छत्तीसगढ़ की तरफ से आने वाले ट्रकों में बिना GST के भुगतान किये राज्य में Steel लाने की समय-समय पर सूचना प्राप्त होती है जिस संबंध में GST अमले से समन्वय स्थापित कर उनके माध्यम से कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

13. विभिन्न राज्यों विशेषकर अरूणाचल प्रदेश से फर्जी NOC पर पंजीकृत वाहनों को तत्काल जब्त करें और तत्पश्चात् आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करें।

14. विभाग द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यो का लगातार प्रचार-प्रसार करें।

उपरोक्त चैकिंग के दौरान यात्रियों को कोई असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
(मान. परिवहन मंत्री जी द्वारा अनुमोदित)

24/7/25
परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 305/टीसी/2025 भोपाल,दिनांक 24/7/2025

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, म.प्र.शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, परिवहन मंत्री की ओर मान. परिवहन मंत्रीजी के संज्ञान में लाने हेतु।
3. संयुक्त परिवहन आयुक्त(प्रशा.) मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. उप परिवहन आयुक्त(वित्त) मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त संभागीय उप परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालन सुनिश्चित करने हेतु।
6. समस्त क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. समस्त प्रवर्तन अमले के प्रभारी अधिकारी/कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही हेतु।

24/7/25
परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश